कृषि महाविद्यालय, मण्डोर, जोधपुर
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) ३४२३०४

No: F.( )/BID/Farm/COA/Jodh/2020/585 दिनांक: 14 / 07 / 2020

ई–निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, मण्डोर, जोधपुर में 2020–21 सत्र के लिए कार्यालय, कृषि फार्म पर फसलों में विभिन्न कृषि कार्यो व अन्य कार्यो को करवाने हेतु अनुबन्ध पर अकुशल, कुशल व उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध करवाने हेतु ई–निविदा (https://eproc.rajasthan.gov.in) आमन्त्रित की जाती हैं। जिसका विवरण No. 585 dated 14.07.2020 (UBN No.: JAU2021SLOB00037) से राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर अथवा कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट www.aujodhpur.ac.in पर देखा व पढा जा सकता है।

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर–३४२३०४,राजस्थान,शरत

COLLEGE OF AGRICULTURE

AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR- 342304
RAJASTHAN, INDIA

Mob.: 9462719565
Tele:
0291 2572565(O)
E-mail:
coajodhpur@gmail.com

Prof. B. S. Bhimawat
Dean & Faculty Cairman

No: F.( )/BID/Farm/COA/Jodh/2020/ 585

दिनांकः 14.07.2020

ई–निविदा आमन्त्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, मण्डोर, जोधपुर में 2020–21 सत्र के लिए कार्यालय, कृषि फार्म पर फसलों में विभिन्न कृषि कार्यों व अन्य कार्यों को करवाने हेतु अनुबन्ध पर अकुशल, कुशल व उच्च कुशल श्रमिक {अनुमानित लागत पंद्रह लाख रुपये मात्र (रूपये 15.00 लाख)} उपलब्ध करवाने हेतु ई–निविदा आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति निविदा प्रपत्रों को वेब साइट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकता है एवं निविदा को इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में भर कर आवश्यक दस्तावेज की स्केन प्रतिलिपि संलग्न कर इसी पोर्टल पर दिनांक 29.07.2020 (बुधवार) सुबह 11.00 बजे तक जमा करना है। धरोहर राशि रू. 30,000/–(अक्षरे तीस हजार मात्र) व निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 500/–(अक्षरे पाँच सौ मात्र) अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट के रूप मे जो कि Dean, College of Agriculture, Mandor, Jodhpur के नाम देय हो तथा ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क रू. 500/–(अक्षरे पाँच सौ मात्र) बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आइ.एस.एल. के पक्ष में देय हो व जयपुर में भुगतान योग्य हो संलग्न कर दिनांक 29.07.2020 (बुधवार) सुबह 11.30 बजे तक इस कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। ई–निविदा दिनांक 29.07.2020 (बुधवार) सुबह 11.30 बजे खोली जायेगी। निविदा की शर्तें aujodhpur.ac.in, http://sppp.rajasthan.gov.in व https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी/पढ़ी जा सकती है। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ : –

1. वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त निविदा हेतु किसी एक सदस्य को नामित कर 29.07.2020 (बुधवार) को सुबह 11.30 बजे 'वित्त नियंत्रक नामांकित' सदस्य के रूप मे इस कार्यालय मे उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
2. निविदा अनुमोदन कमेटी, कृषि महाविद्यालय, जोधपुर ।
3. फार्म प्रभारी/फार्म प्रबन्धक/फार्म स्टोर, कृषि महाविद्यालय, जोधपुर।
4. लेखा शाखा/रोकड शाखा, कृषि महाविद्यालय, जोधपुर।
5. सूचना पट्ट/कृषि महाविद्यालय/कृ.अ.के/पी.सी. युनिट, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर रोकड़ शाखा, कृषि महाविद्यालय, जोधपुर।
6. प्रभारी, बेवसाइट, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
7. सूचना पट्ट/निविदा पत्रावली/रक्षित पत्रावली कृषि महाविद्यालय, जोधपुर।

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, जोधपुर
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)–342 304,राजस्थान

ई–निविदा प्रपत्र

(कार्यालय, कृषि व अन्य कार्यों के लिए अकुशल, कुशल व उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु)

ई–निविदा सूचना क्रमांक –F.( )/BID/Farm/COA/Jodh/2020/....................दिनाँक...................कृषि महाविद्यालय, जोधपुर पर कार्यालय, कृषि व अन्य कार्यों के लिए अकुशल, कुशल व उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि रुपये 30,000 /–(अक्षरे तीस हजार रू. मात्र) बैंक ड्राफ्ट संख्या.......................... ....दिनाँक...............................एवं निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500 /–(अक्षरे पाँच सौ रूपये मात्र) बैंक ड्राफ्ट संख्या..दिनाँक...................... Dean, College of Agriculture, Mandor, Jodhpur के नाम देय / प्रेषित है।

ई–निविदा प्रपत्र संख्या F.( )/BID/Farm/COA/Jodh/2020/...........दिनाँक.................. के अंतर्गत ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क रू 500 /–(अक्षरे पाँच सौ रूपये मात्र) बैंक ड्राफ्ट संख्या...दिनाँक......................मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आइ.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य देय / प्रेषित है।

निविदादाता का नाम व पूरा पता :..

....दूरभाष नम्बर यदि हो:..

मोबाइल नम्बर ....

1. निविदादाता द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा

क्र. सं	विवरण	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण दिनाँक एवं वर्ष	संलग्नक (✓)
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970			
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952			
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948			
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)			
5.	आयकर (PAN number)			

हस्ताक्षर निविदादाता (ठेकेदार

2. निविदादाता द्वारा विभिन्न स्तम्भ के मदों में भरी जाने वाली दरों का विवरण

क्र. सं	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधनों की श्रेणी	अनुमानित राशि (रू.)	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (रू.)*	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर (रू.)**	EPF@ 13% की दर से स्तम्भ संख्या 6 के अनुसार (रू.)	ESI @ 3. 25% की दर से स्तम्भ संख्या 6 के अनुसार (रू.)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (रू.)	कुल राशि (रू.) (6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अकुशल श्रमिक फसलों की बुवाई (ले–आउट/गेप फिलिंग/पौध की रोपाई/पौध प्रजनन के विभिन्न कार्य सेल्फिग, क्रॉसिंग (परागण कार्य में मदद करना), हैण्ड वीडिंग (खरपतवार निकालना) गुड़ाई करना, तुड़ाई (पिकिंग), बीज निकालना, कटाई, गहाई, औसाई व बीज पैकिंग, प्रयोगशाला व ग्रीनहाउस में कार्य/बागवानी संबंधित कार्य/विभिन्न कृषि प्रयोगों के आंकड़े (खेत व प्रयोगशाला में) लेने में मदद/फसल को पक्षियों से बचाव व फसलों को खलिहान तक लाना, फार्म व कार्यालय में विभिन्न कार्य आदि।	अकुशल	15,00,000/–	225/–	....	....	....	....	....
2.	कुशल श्रमिक हिन्दी एवं इंग्लिश टाइपिंग, जेनेरेटर ऑपरेटिंग, प्रयोगशाला सहायक इत्यादि।	कुशल		249/–	....	....	....	....	....
3.	उच्च कुशल श्रमिक प्रयोगशाला उपकरणों की देखरेख, रख–रखाव, संगणक ऑपरेटर, डेटा इंट्री इत्यादि ।	उच्च कुशल		299/–	....	....	....	....	....

**एक कार्य दिवस 8 घण्टे का माना जायेगा। **सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं होना चाहिए।*

नोट:

1. उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 5 तक की पूर्तियां कृषि महाविद्यालय मण्डोर, जोधपुर द्वारा कर दी गयी है। स्तम्भ संख्या 6 से 10 तक की पूर्तियां निविदादाता द्वारा की जानी अनिवार्य है। यदि निविदादाता द्वारा कोई स्तम्भ (स्तम्भ संख्या 6 से 10 तक) रिक्त छोडा जाता है तो ऐसी स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
2. सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर, EPF एवं ESI की दरों में परिवर्तन हाने की स्थिति में परिवर्तित दरें मान्य होंगी।
3. सेवा प्रदाता/निविदादाता द्वारा सर्विस चार्ज राशि (स्तम्भ संख्या 9) की दर यदि प्रतिशत में लिखी जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी। साथ ही शून्य लिखी हुई दर प्रस्तुत करने पर भी सेवा प्रदाता/निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता (ठेकेदार)

कृषि महाविद्यालय मण्डोर, जोधपुर
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)–342 304, राजस्थान

No: F.( )/BID/Farm/COA/Jodh/2020/ दिनांकः 14.07.2020

कार्यलय, कृषि व अन्य कार्यों के लिए अकुशल, कुशल व उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा शर्तें

1. मुहरबन्द ई–निविदा Dean, College of Agriculture, Mandor, Jodhpur के नाम देय होनी चाहिए।
2. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में https://eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करनी होगा। जिसकी निविदा डिजिटल साइन के साथ नहीं होगी उसे स्वीकार नहीं किया जांयेगा। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं होंगी।
3. ई–निविदा के साथ–साथ निविदा मुहरबन्द लिफाफे में भौतिक रूप में भी जमा करवानी है जिसके लिफाफे पर कार्यलय, कृषि व अन्य कार्यों के लिए अकुशल, कुशल व उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु ई–निविदा तथा दिनांक 29.07.2020 लिखा होना चाहिए।
4. ई–निविदा दिनांक 29.07.2020 (बुधवार) को सुबह 11.00 बजे बंद हो जायेगी एवं समय के पश्चात् प्राप्त ई–निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी एवं इसे दिनांक 29.07.2020 (बुधवार) को सुबह 11.30 बजे खोला जायेगा। यदि किसी कारणवश उस दिन का अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदा खोली जायेगी।
5. निविदा के साथ धरोहर राशि 30,000/–(अक्षरे तीस हजार रूपये मात्र) व निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/–(अक्षरे रू. पाँच सौ मात्र) अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कि Dean, College of Agriculture, Mandor, Jodhpur के नाम देय हो एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क रू 500/–(अक्षरे रू. पाँच सौ मात्र) बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आइ.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए संलग्न कर दिनांक 29.07.2020 (बुधवार) सुबह 11.30 बजे तक सीलबंद लिफाफे में इस कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
6. प्रत्येक कार्य की निविदा दर स्पष्ट रूप से अंकों एवं शब्दों में लिखी होनी चाहिए।
7. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
8. निंविदादाता निविदाशर्तों का अध्ययन करने के पश्चात ही अपनी निविदा प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
9. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रो को आनलाईन जमा करने से पूर्व निविददाता सुनिश्चित कर लेवें की निविदा प्रपत्रो से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा के साथ संलग्न कर दी गयी है।
10. अनुबंध कार्य वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है हालांकि आपसी सहमति से यह समयावधि एक वर्ष तक की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है। निविदा कार्य के लिए उद्धृत दरों की मान्यता निविदा अनुबन्ध के शुरूआत के समय से न्यूनतम एक वर्ष तक की जा सकती है तथा आपसी सहमति से उद्धृत दरों पर ही समयावधि बढ़ाई जा सकेगी।यदि काम संतोषजनक नही पाया जाता है अथवा निविदा अनुबन्ध की कोई शर्त भंग की जाती है ऐसी स्थिति में, जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।
11. प्रारम्भ में कुल निविदा की अवधि तीन महीने की ही होगी तत्पश्चात फर्म के गत कार्य प्रदर्शन के सन्तोषजनक पाये जाने पर ही अनुबन्ध अवधि को बढ़ाया जायेगा।
12. बिना धरोहर राशि व प्रपत्र शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा धरोहर राशि के रूप में चेक स्वीकार नहीं किया जायेगा।
13. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार अधिष्ठाता के पास सुरक्षित रहेगा एवं अधिष्ठाता/डीन के निर्णय सर्वमान्य होंगे।
14. कार्य, प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रबन्धक/कृषि पर्यवेक्षक/ प्रक्षेत्र प्रभारी की निगरानी में उनके निर्देश के अनुसार पूरा करना होगा।

15. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत निविदादाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

16. कृषि कार्यों के लिए जरूरी औजार जैसे फावड़ा, कुदाली, गेंती, खुरपी, दंताली, आदि स्वयं के लाने होंगे।

17. कार्यालय, कृषि एवं अन्यकार्य करवाने के लिये श्रमिकों को लाने एवं ले जाने के लिये कोई भी वाहन विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा। श्रमिकों को लाने व ले जाने की व्यवस्था स्वयं निविदादाता द्वारा की जायेगी।

18. कार्य की प्रकृति एवं मांग के अनुसार श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे। ठेकेदार को समय–समय पर अग्रिम रूप से सूचित किया जाता रहेगा। ठेकेदार को उसी अनुसार निर्धारित समय पर कार्य करवाना होगा अन्यथा, कार्य सम्पादन में किसी भी प्रकार के विलम्ब को कृषि महाविद्यालय का नुकसान माना जायेगा, जो कि धरोहर राशि के बराबर अथवा कमेटी जो निर्धारित करेगी, उसी के अनुसार नुकसान की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।

19. संविदा पर करवाये जाने वाले कार्यों के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्य न होने पर उस कार्य को सुधार कर पूरा करवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। जिसको निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे से व्यवस्थित रूप से पूऱा करवाना होगा। यदि ठेकेदार ऐसा करने में असमर्थ रहा तो उस कार्य को महाविद्यालय द्वारा ठेकेदार के जोखिम पर करवाया जायेगा। ठीक उसी प्रकार अधूरा छोड़ा गया कार्य भी ठेकेदार की जोखिम एवं खर्चे से पूरा करवाया जायेगा।

20. निविदादाता के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म की फसलों अथवा सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भुगतना पड़ेगा अथवा नुकसान का हर्जाना अदा नहीं करने पर प्रतिभूति राशि अथवा भुगतान में से काट लिया जायेगा।

21. निविदादाता की किसी भी तरह की शिकायत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त होने पर निविदादाता को इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर संतोषप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा श्रम ठेका निरस्त कर निविदादाता के विरूद्ध उपयुक्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

22. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित निविदादाता का होगा। इस सम्बंध में यदि कोई शिकायत इस संस्था को प्राप्त होती है तो इसकी शिकायत संस्था द्वारा श्रम विभाग को अनिर्वाय रूप से करवाकर उस निविदादाता को Debar कर दिया जायेगा।

23. निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में किया जायेगा। सम्बन्धित निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण कृषि महाविद्यालय, जोधपुर को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर ही निविदादाता को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

24. निविदादाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार EPF एवं ESI जमा करवाना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और निविदादाता का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के EPF एवं ESI के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही निविदादाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

25. अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों तथा EPF, ESI एवं अन्य दरों में वृद्धि की जाती है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता बढी हुई दरों को बढाने का उत्तरदायी तब तक नही होगा, जब तक की निविदादाता द्वारा दी गयी मजदूरी दर राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए निर्धारित नवीन न्यूनतम मजदूरी दर से कम न हो। लेकिन सेवा प्रदाता की सर्विस चार्ज राशि में कोई भी परिवर्तन नही किया जायेगा।

26. निविदादाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर निविदादाता का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं निविदादाता.द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने पर शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

27. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का समस्त दायित्व निविदादाता का होगा।

28. निविदादाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। निविदादाताद्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

29. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व निविदादाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

30. सेवा प्रदाता/निविदादाता द्वारा सर्विस चार्ज राशि की दर यदि प्रतिशत में लिखी जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी। साथ ही शून्य लिखी हुई दर प्रस्तुत करने पर भी सेवा प्रदाता/निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

31. भुगतान केवल पूर्ण करवाये गये कार्य की मात्रा के अनुसार ही किया जायेगा तथा निविदाता (ठेकेदार) को अग्रिम तौर पर धन, सामान अथवा किसी प्रकार की सेवा प्रदान नहीं की जायेगी।

32. सफल निविदादाता के अतिरिक्त सभी की धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के पश्चात सात दिन के अन्दर लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

33. सफल निविदादाता यदि ठेका बीच में छोड़ देता है, तो करवाये गये कार्य बकाया भुगतान एवं प्रतिभूति राशि जब्त करके ब्लेक–लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा।

34. कार्यालय द्वारा स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार भुगतान नहीं दिया जायेगा तथा स्त्रोत पर आयकर, सेवाकर या सरकारी देनदारी, अन्य कर देय होतो राजस्थान सरकार के नियमानुसार कटौती निविदादाता से की जायेगी।

35. निवादादाता द्वारा श्रमिकों का भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से करना होगा । भले ही कार्यालय द्वारा निविदादाता को भुगतान देरी से किया जाए ।

36. सफल निविदादाता को अनुबन्ध स्वरूप नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प रुपये 500/- (अक्षरे पाँच सौ रूपये मात्र) का हाल हीं घोषित सरकारी दर पर इकरारनामा (अनुबन्ध) प्रेषित करना होगा एवं साथ ही अनुबन्ध वार्षिक राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति (Security) के रूप में कार्यादेश प्राप्त करने से पूर्व जमा करवानी होगी।

37. अनुबन्ध पर रखे गये श्रमिक निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होंगे एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर नई निविदा आमन्त्रित कर ली जावेगी।

38. अशिष्ट व्यवहार करने व कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर श्रमिक को हटा दिया जायेगा। श्रमिकों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार कोई दायित्व उत्पन्न होता है, तो उसके लिये संबंधित निविदादाता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा महाविद्यालय किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस संबंध में महाविद्यालय के विरूद्ध की गयी सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।

39. श्रमिकों द्वारा हड़ताल या उत्पात मचाने पर क्षतिपूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी । किसी भी तरह की हड़ताल/उपद्रव/उत्पात/अनुशासनहीनता पाये जाने पर अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।

40. महाविद्यालय के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के साथ दुर्वव्यहार या अनुशासनहीनत किए जाने पर श्रमिकों के खिलाफ कार्यवाही की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी ।

41. अनुबन्ध अवधि में किसी श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य दुर्घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता (ठेकेदार) की होगी। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस संबंध में महाविद्यालय प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जावेगी।

42. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता का होगा, इसके लिए कृषि महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

43. अनुबन्ध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले श्रमिकों के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निविदादाता (ठेकेदार) उत्तरदायी रहेगा।

44. निविदादाता किसी अन्य ठेकेदार या व्यक्ति को उप –निंविदा या उप–ठेका (सब–लेट) नही देगा । वह स्वयं इस कार्य को करवायेगा ।

45. Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

46. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा एवं ठेकेदार/निविदादाता उसके लिए बाध्य होगा।

47. निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता को निम्नाकिंत प्रपत्र ई–निविदा के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करने होगें: (i) श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाणपत्र (ii) EPF एवं ESI का पंजीयन प्रमाणपत्र (iii) जी.एस.टी. एवं पैन नम्बर

अधिष्ठाता

मुझे (निविदादाता) समस्त उपरोक्त शर्तें मंजूर है एवं मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता (ठेकेदार)